न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः—जीसीएमएस 2021/144

1. राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील अलवर जिला अलवर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. महादेव,
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. महादेव,
3. धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. महादेव जाति राजपूत निवासी स्मृति सदन 28, रघुमार्ग, अलवर।

———रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 05.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर इस सम्बन्ध में तहसील कार्यालय से रिपोर्ट चाही गई और उसमें स्पष्ट अंकित किया गया कि बन्दोबस्त 2020 के मुताबिक उक्त आराजी महकमा सरकार कस्टोडियन दर्ज है, मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पटवारी हल्का उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड कस्टोडियन में होने के कारण किसी भी प्रकार से परिवर्तन किये जाने योग्य नही होने के बावजूद उक्त तथ्य पर कतई गौर नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2020 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलम्ब अरसा—दराज प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम दिनांक 16.10.2020 को पेश किया गया है और इस दरमियान हुई देरी के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया जिस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 पारित किया है जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई कि मौके पर सघन आबादी बसी हुई है जिस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स को विवादित आराजीयत के वर्तमान रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि से कोई लेना–देना व सरोकार नही है जिस तथ्य पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2020 पारित किया गया है जो विधि विधान और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से के कारण निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को भी दोहराते हुए कथन किया है कि जिला कलक्टर अलवर स्वयं सम्पूर्ण जिले के प्रशासनिक कार्य को देखते है जिस कारण प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण पत्रावली प्रकरण लम्बे समय तक विभिन्न कार्यालयों से अपीलान्ट के कार्यालय को प्राप्त हुई जिस पर राजकीय अधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त की गई और विधिक राय प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा उक्त देरी की अविध अपीलान्ट की सद्भावना व नकनियति पर अधारित है इसलिये अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों कों अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि महादेव सिंह ने स्वयं के नाम से साबिक खसरा नम्बर 264/40 रकबा 10 बिस्वा, 268/41 रकबा 09 बिस्वा वाके नगंली कोता निवाज खान से जरिये बयनामा दिनांक 20.01.1939 को खरीद की तथा साबिक खसरा नम्बर 353/267/41 रकबा 02 बिस्वा, 340/43 रकबा 01 बीघा वाके नगंली कोता उमर खान से खरीद की तथा खसरा नम्बर 359/264/40 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 363/268/41 रकबा 2 बिस्वा वाके नगंली कोता को निवाज खान से खरीद की थी तथा साबिक खसरा नम्बर 367/42 रकबा 02 बिस्वा वाके नगंली कोता को मामला, छोटू से खरीद की जिनका इन्द्राज रेस्पोडेन्ट के नाम तथा साबिक खसरा नम्बर 264/40/2 रकबा 05 बिस्वा, 268/41/4 रकबा 05 बिस्वा, वाके नगंली कोता को लक्ष्मीनारायण को दिनांक 12.08.1939 को बेचान कर दी तथा 646.38 वर्गगज जमीन गोबिन्द लाल, ललित कुमार, अनिल कुमार को दिनांक 24.01.1968 को बेच दी और खसरा नम्बर 264/40 में से 2 बिस्वा, 268/41 में से 02 बिस्वा का तबादला डॉ. घनश्याम को करके खसरा नम्बर 42/1/2 रकबा 02 बिस्वा, 41/3 रकबा 02 बिस्वा वाके नगंली कोता प्राप्त की जिस आराजी के रिकार्ड में सवंत 2012 के बाद हुए सैटलमेंट में रेस्पोडेन्ट का नाम हटा कर खसरा नम्बर 49 कायम कर दिया और सवंत 2051 के सैटलमेंट में खसरा नम्बर 51 कायम कर दिया जिसे

आयुक्त
जयपुर

दुरूस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट् ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिववक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम बन्दोबस्त से पूव्र वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के पिता महादेव द्वारा आराजी के हिस्सेदार निवाज खा, उमर खॉ वगैरह से क्रय की गई थी तथा तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट में भी उन्होनें अंकित किया गया है कि उक्त समस्त खरीदशुदा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम से बन्दोबस्त प्रक्रिया 2020 में सरकार कस्टोडियन किस आधार पर दर्ज हुई है, इस बाबत कोई भी साक्ष्य, सबूत पत्रावली में संलग्न नही है जबकि सैटलमेन्ट को किसी खातेदार की भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के कम ज्यादा या विलोपित करने के अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 को यथावत रखा जाता है।

25/8/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-:संशोधन आदेश:-
आदेश दिनांक 22/9/21 के अनुसरण में निर्णय के हेतु संख्या। पर निर्णय की दिनांक 05.08.2021 के स्थान पर 25.08.2021 संशोधित की जाती है।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।